(145)

श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म०प्र०ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा

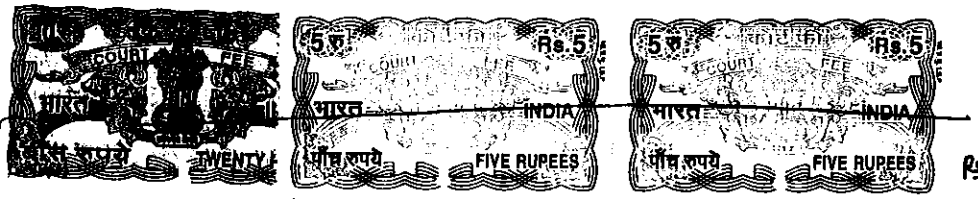

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 — COURT FEE TWENTY — Rs-30/-

III/निग०/2017/2702

हीरालाल पिता रामसुन्दर साहू ग्राम डोंगरी, तहसीलसरई, जिला सिगरौली

म०प्र० ---- ------ निगरानीकर्ता

वनाम

शासन म०प्र० ------ ------ गैरनिगरानीकर्ता

अधि० श्री अरुण कुमार साहू द्वारा पेश। 16-8-17

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील सरई जिला सिगरौली के प्रकरण क्रमांक214/अ-6अ/15-16 आदेश दिनांक 17-7-2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया व प्राकृतक न्याय के सिद्धान्ता के विपरीत होनेसे निरस्त कियेजाने योग्य है।

2- यहकि पुराना आराजी खसरा क्रमांक 215 का जुज रकवा 2-023हे० का व्यवस्थापन काफ्टटा जरिये प्रकरण क्रमांक 46अ19:1:/ 75-76 आदेश दिनांक 1-9-1976 के द्वारा निगरानीकर्ता के पिता रामसुन्दर के नाम हुआ था तब से लगातार वर्ष 86-87 तक राजस्व अभिलेखो मे वतौर भूमिस्वामी दर्ज रहा आया किन्तु वन्दोवस्त कार्यवाही उपरान्त आ०नं०215 के कई वटे नम्बर कायम हो गये जो क्रमश: 925, 926,927, 838, 939, 940, 941 945, 946 947 948 949, 950, 951 ,952 953,961 ,964 980,981 कायम हुये जिसमे आराजी नं० 939/2/ख रकवा0-030 हे०व आ०नं० 940/1/2क

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन–निग0/सिंगरोली/भू.रा./2017/2702

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी तहसीलदार सरई जिला सिंगरोली के प्र.क्र. 214 अ–6–अ/15716 में पारित आदेश दिनांक 17–7–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सरई जिला सिंगरोली के प्र.क्र. 214 अ–6–अ/15716 में पारित आदेश दिनांक 17–7–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरूप का है जिसके विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी को, द्वित्तीय अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को होगी। सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत होने एंव विचार करने से पक्षकार का अपीलीय न्यायालयों से अनुतोष पाने के हक पर प्रभाव पड़ेगा। आवेदक चाहे इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	